न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 123/2023 (RCMS : 2023/220)

1. **सुखमन्द सिंह** पुत्र श्री हरबंस सिंह जाति जटसिख निवासी चक 15 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **निर्भय सिंह** पुत्र श्री गुरजन्ट सिंह जाति जटसिख निवासी चक 15 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
2. **गुरवीर सिह** पुत्र श्री निर्भय सिंह जाति जटसिख निवासी चक 15 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
3. **गुरप्रीत सिंह** पुत्र श्री बोहड़ सिंह जाति जटसिख निवासी चक 7 बीएनडब्ल्यू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
4. **जगदीप सिंह** पुत्र श्री सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 के के तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
5. **जसविन्द्र कौर** पत्नी गुरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी 5 के के तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
6. **पवनवीर कौर** पत्नी श्री बोहड़ सिंह जाति जटसिख निवासी चक 7 बीएनडब्ल्यू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
7. **यादविन्द्र सिंह** पुत्र श्री जगदीप सिह जाति जटसिख निवासी 5 के के तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
8. **रमनवीर कौर** पत्नी श्री गुरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी चक 7 बीएनडब्ल्यु तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
9. **रेशम सिंह** पुत्र श्री जसवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 जीबी (बी) दौलताबाद तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर
10. **लवप्रीत सिंह** पुत्र श्री बोहड सिंह जाति जटसिख निवासी चक 7 बीएनडब्ल्यू, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
11. **सुखलीन सिंह** पुत्र गुरमीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 7 बीएनडब्ल्यू, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
12. **स्वरूप सिंह** पुत्र श्री कर्म सिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 जीबी (बी) (दौलताबाद) तहसील श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर

06.03.2024

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री बलराम स्वामी, अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री प्रदीप सिहाग उपस्थित हुए। उभयपक्ष को सुना गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.03.18 16:40:10 IST
Reason: Self-Attested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचाराधीन प्रकरण संख्या 15/2023 अनवानी सुखमन्दर सिंह बनाम निर्भय सिंह आदि में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है, इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी हो गया है, इसलिए इस मुंतकिली प्रार्थना पत्र को खारिज करने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के अन्यत्र स्थानान्तरण होने के कारण उनके द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रकरण को खारिज किया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 15/2023 अनवानी सुखमन्दर सिंह बनाम निर्भय सिंह आदि अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.03.18 16:40:10 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर